

नगर निगम, झाँसी ।

बैठक का स्थान - नगर निगम प्रशासनिक भवन स्थित
महारानी लक्ष्मीबाई सभाकक्ष
समय 12:00 बजे दोपहर

नगर निगम सदन की बैठक दिनांक 31.12.2015 का कार्यवृत्त

नगर निगम सदन की बैठक नगर निगम स्थित प्रशासनिक भवन के महारानी लक्ष्मीबाई सभाकक्ष में मा० महापौर श्रीमती किरन राजू बुकसेलर की अध्यक्षता में उपस्थित मा० सदस्यों के कोरम पूरा होने पर बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। बैठक में नगर आयुक्त, कार्य० अपर नगर आयुक्त, मुख्य अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य नगर लेखा परीक्षक, जोनल सेनेटरी ऑफीसर, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, सहायक अभियन्ता (विद्युत), लेखाधिकारी, लेखाकार, सम्पत्ति अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, एस.डी.ओ. (जल निगम), अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड (प्रथम), सदन प्रभारी आदि उपस्थित रहे। श्री केशव प्रसाद, सदन प्रभारी ने सभाकक्ष में उपस्थित मा० महापौर, एवं उपस्थित सभी मा० पार्षदगणों व अधिकारियों, पत्रकार बन्धुओं का हार्दिक स्वागत किया तथा मा० महापौर महोदया की अनुमति से सदन की कार्यवाही प्रारम्भ की।

सर्वप्रथम नगर आयुक्त जी ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर सभाकक्ष में उपस्थित सभी का हार्दिक स्वागत करते हुये नव वर्ष की बधाई दी।

श्री खुशींद मा० पार्षद ने कहा कि मंच पर उपसभापति की कुर्सी डलवायी जाये।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि मा० सदन की बैठक में मा० महापौर महोदया द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जा रही है तथा नगर निगम अधिनियम में इस तरह की व्यवस्था नहीं है।

श्री बाल स्वरूप साहू मा० पार्षद ने भी पूर्व की भांति मंच पर व्यवस्था कराने का अनुरोध किया।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि मा० सदन में उपस्थित पार्षदगणों के निर्णय पर जैसा वह लोग चाहें वैसी व्यवस्था करा देंगे।

श्री संजीव पटैरिया मा० पार्षद ने कहा कि विवादित मुद्दों पर मा० सदन की राय ली जाती है। मा० सदन चाहे तो बैठाया जाये।

सभाकक्ष में उपस्थित कुछ मा० पार्षद गणों ने मंच पर उपसभापति को कुर्सी दिये जाने का समर्थन करते हुये अपने-अपने हाथ उठाये।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि अभी मा० सदन में आपत्तिकर्ता मौजूद नहीं है उनके आने पर वोटिंग करा दी जायेगी। मंच पर मा० उपसभापति जी को यथास्थान बैठने हेतु आमंत्रित किया गया।

श्री रवि मौर्या मा० पार्षद ने कहा कि कार्यवृत्त में काट-छांट न की जाये।

मा० महापौर जी ने कहा कि मा० सभी पार्षदगण एक-एक कर अपनी बात रखें जिससे मिनट बुक में सभी की बात नोट हो सके।

सदन प्रभारी ने कहा कि पहले एजेण्डे पर चर्चा हो फिर अन्य बिन्दुओं पर चर्चा की जाये।

श्री राजबिहारी मा० पार्षद ने कहा कि प्रत्येक पार्षद को अपनी बात रखने का एक निश्चित समय दिया जाये। सभी पार्षद क्रमशः वार्ड नं० 01 से अपनी बात मा० सदन के समक्ष रखें।

सदन प्रभारी ने कहा कि यह बैठक वर्ष 2015 की अन्तिम बैठक है बैठक में नगर आयुक्त, कार्य० अपर नगर आयुक्त, जिला पूर्ति अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता (जल संस्थान) तथा अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड उपस्थित हैं उनका अभिनन्दन व स्वागत करते हुये आप सब भाई-चारा बनाये रखें यह मीटिंग ऐतिहासिक हो क्योंकि वर्ष 2015 का अन्तिम पड़ाव है।

किरन राजू बुकसेलर
4-02/16

श्रीमती किरन राजू बुकसेलर
नगर निगम
झाँसी नगर निगम, झाँसी

विचार विमर्श:- श्री अशोक पलया मा0 पार्षद ने कहा कि निर्माण कार्य से सम्बन्धित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति नहीं है बजट की उपलब्धता के अनुसार सभी वार्डों में समान रूप से कार्य कराया जाये।

श्री रवि मौर्या मा0 पार्षद ने कहा कि नगर निगम के गठन उपरान्त सम्मिलित सभी वार्डों में निर्माण कार्यों की आवश्यकता है।

श्री उदयभान मा0 पार्षद ने कहा कि उक्त कार्य का मा0 जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निरीक्षण किया जा चुका है।

निर्णय :- नगर आयुक्त जी ने निर्माण कार्य की जांच कराकर निर्माण कार्य स्वीकृत किया जाये तथा सभी वार्डों में समानता के अनुसार निर्माण कार्य कराये जायें।

प्रस्ताव संख्या 06 :- निर्माण विभाग द्वारा कुटेशन/बॉण्ड पर रोक के बावजूद अनियमित रूप से कराये गये कार्यों को सार्वजनिक करने के प्रस्ताव पर विचार।

विचार विमर्श:- श्रीमती सीमा मा0 पार्षद वार्ड नं0 18 ने सभाकक्ष में उपस्थित मा0 महापौर, सभी अधिकारियों, मा0 पार्षदगणों एवं पत्रकार बन्धुओं को नव वर्ष की शुभकामनायें एवं बधाई देते हुये कहा कि पूर्व में मा0 सदन एवं मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठकों में कुटेशन पर रोक लगाये जाने के स्वीकृत प्रस्ताव के बाद भी निर्माण विभाग द्वारा कुटेशन/बॉण्डों पर कार्य हो रहे हैं। अभी तक कितने कुटेशन पर कार्य हुये हैं मा0 सदन को इसकी जानकारी दी जाये।

श्री संजीव पटैरिया मा0 पार्षद ने कहा कि सभी वार्डों में कुटेशन पर कार्य हो रहे हैं।

श्री मनीष खटीक मा0 पार्षद ने कहा कि वार्ड नं0 20 में कोई भी कुटेशन पर कार्य नहीं कराया गया है।

श्री महेश गौतम मा0 पार्षद ने कहा कि ठेके बन्द कर कुटेशन पर कार्य कराया जाये।

श्री राजबिहारी मा0 पार्षद ने कहा कि छोटे-छोटे कार्य कुटेशन पर होना चाहिए।

श्री कन्हैया कपूर मा0 पार्षद ने कहा कि प्रत्येक पार्षदों के वार्ड में दो-दो कुटेशन पर निर्माण कार्य हो जाये तो कोई विरोध नहीं होगा। क्राईट ऐरिया निर्धारित कर लिया जाये।

अपर नगर आयुक्त जी ने कहा कि आवश्यक सेवाओं के ही कुटेशन होना चाहिए।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि झाँसी महानगर में निर्वाचित एवं शासन द्वारा मनोनीत कुल 70 पार्षद हैं अगर सभी को रू 2.00 - 2.00 लाख प्रति माह के कार्य दिये जायेंगे तो नगर निगम का रू 1.40 करोड़ का प्रतिमाह व्यय होगा।

मा0 महापौर जी ने कहा कि कुटेशन द्वारा जो भी कार्य हो नियमानुसार हों।

श्री आर.के.वर्मा मुख्य अभियन्ता ने कहा कि दुर्गा पूजा, दशहरा, लक्ष्मी तालाब पर मूर्ति विसर्जन स्थलों तथा मुहर्रम एवं बारा-बफात जैसे पर्वों तथा कोई पुलिया टूटी है ऐसे स्थानों पर कुटेशन पर कार्य कराये गये हैं लेकिन जब से कुटेशन के कार्यों पर रोक लगी है तब से कोई भी कार्य कुटेशन/बॉण्ड पर नहीं किया गया है। वर्ष 2015-16 की सूची हमारे पास है आप अवलोकन कर सकती हैं।

श्री संजीव पटैरिया मा0 पार्षद ने कहा कि कई वार्डों में रू 27.00 लाख तक के कार्य हो जाते हैं। निर्माण कार्य बैक डोर से होते हैं सभी वार्डों में समानता का व्यवहार रखा जाये।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि मा0 सदन को जानकारी दे रहा हूँ कि इसी सदन के द्वारा रोक लगायी गयी थी यथासम्भव उसका पालन किया गया है। पुलिया टूट गयी है, सड़क में गड्ढा है यह कार्य जनहित में आवश्यक कार्य हैं। जो कानूनी रूप वैध न हो इसी अर्जेन्ट नेचर का काम हो तो इसे बॉण्ड बनाया जाता है। कई पार्षदों को अगर दिक्कत हो तो एक कमेटी बना दीजिए वह आये व निर्माण कार्य की आवश्यकता को देखे व निर्णय लें।

श्री राजबिहारी मा0 पार्षद ने कहा कि सदन में पारित प्रस्ताव पर कई बार कमेटियां बनायी गयीं सभी पार्षदों को सूचित किया जाये तथा जब पुलिया टूटी है तभी सूचित कराया जाये।

Hama
24-2-16

श्रीमती विरला शर्मा
सदस्य
श्रीमती नगर निगम

श्री अशोक कुमार जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि वार्डों में स्थित कन्ट्रोल की दुकानों के बोर्ड पर सूचना चस्पा करायी गयी थी फिर भी जो रह गये हैं उनको इस योजना से जोड़ा जायेगा।

श्री रवि मौर्या मा० पार्षद ने कहा कि जिनके पास पीला कार्ड व शारीरिक रूप से विकलांग (दिव्यांग) हैं सम्मिलित नहीं किया है वह कहाँ जायेंगे।

श्री अशोक कुमार जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि ऐसे लोगों को आपके सहयोग से ही बढ़ाया जायेगा सूची संशोधन होगी इसमें समय लगेगा पीले कार्ड भी सम्मिलित हैं।

श्री संजीव पटैरिया मा० पार्षद ने कहा कि नगर निगम कार्यालय में जिला पूर्ति विभाग का कार्यालय खुल जाये जिसमें वहाँ के कर्मचारी बैठें।

श्री रवि मौर्या मा० पार्षद ने कहा कि हमारे वार्ड में 50 प्रतिशत लोगों को नहीं जोड़ा गया है।

मा० महापौर जी ने कहा कि आप लोग शांत हो जाइये।

श्री अशोक कुमार जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि इस योजना में सम्मिलित करने के लिए शासन ने कुछ शर्तें निर्धारित की हैं—

1. पात्र व्यक्ति की आय रु 3500 से अधिक न हो।
2. 100 कारपेट ऐरिया में बिजनिस न हो।
3. जिस व्यक्ति का 80 वर्ग मी० में मकान होगा वह इस योजना में सम्मिलित नहीं हो सकेगा।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि इस योजना में जो लोग सम्मिलित होने को रह गये हैं वह भी जोड़े जायेंगे।

श्री अशोक कुमार जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि आप लोग सूची को देख लें सूची में जो अपात्र हों उनके नाम काट दिये जायेंगे।

श्री अशोक पलया मा० पार्षद ने कहा कि पार्षदों की कोई प्रतिष्ठा नहीं समझी गयी है जो कार्ड गुम हो गये हैं उनका क्या होगा?

श्री कन्हैया कपूर मा० पार्षद ने कहा कि कोटेदार मार्केट में पूरा माल बेंच रहे हैं।

श्रीमती वन्दना यादव मा० पार्षद ने कहा कि इस योजना में नाम शामिल करने के लिए घर-घर जाकर सर्वे होना चाहिये। जो अभी लिस्ट बनी है उसमें कन्ट्रोल वालों का पूरा रोल है।

श्री अशोक कुमार जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है आप लोगों की शिकायत पर तत्काल कार्यवाही होती है।

श्रीमती नीता यादव मा० पार्षद ने कहा कि वार्ड नं० 52 में एक माह में सिर्फ एक घण्टे के लिए ही कन्ट्रोल खुलती है वह एक घण्टे में क्या राशन बांटता होगा?

श्री प्रतीक झा नामित पार्षद ने इस बात का समर्थन किया।

श्री सुरेश राजपूत मा० पार्षद ने कहा कि वार्ड में कोटेदार की गाड़ी पकड़ी थी उस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री अशोक कुमार जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि कोटेदार की दुकान निलंबित की गयी थी।

श्रीमती वन्दना यादव मा० पार्षद ने कहा कि हमारे वार्ड में गरीब विकलांग छूटे हैं।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि आप ऐसे छूटे लोगों की सूची बना लीजिये विभाग उसका परीक्षण कर सम्मिलित कर लेगा।

मा० महापौर जी ने कहा कि कोई भी कन्ट्रोल वाला समय से कन्ट्रोल नहीं खोलता है इसलिये मा० पार्षदों को शिकायत है।

Handwritten signature
04-2-16

श्रीमती किरण रावु दु...

...

...

श्रीमती वन्दना यादव मा० पार्षद ने कहा कि हमारे अवर अभियन्ता कभी फोन ही नहीं उठाते हैं।

श्री संजीव पटैरिया मा० पार्षद ने कहा कि वार्ड में बीच रोड पर खम्भा लगा है जो शिकायत के बाद भी अभी तक नहीं हटाया गया है।

श्री आर.आर.सिंह अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान झाँसी ने सभाकक्ष में अपना परिचय प्रस्तुत करते हुये मा० पार्षदों से दूरभाष नं० - 8808060044 पर वार्ड की समस्याओं से अवगत कराने हेतु अपील की।

श्री रवि मौर्या मा० पार्षद ने कहा कि जल संस्थान को हैण्डपम्प मरम्मत हेतु बार-बार कहना पड़ता है।

श्री राजबिहारी मा० पार्षद ने कहा कि जब बिजली आती है तो नल नहीं आते हैं और जब नल आते हैं तो बिजली नहीं आती।

श्री आर.आर.सिंह अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान झाँसी ने कहा कि पानी खोलने का समय निर्धारित है यदि बिजली नहीं है तो प्रेशर डाउन रहता होगा।

श्री आनन्द साहू मा० पार्षद ने कहा कि हमारे वार्ड में प्रातः 04:00 बजे नल आते हैं इसका समय प्रातः 06:00 या 07:00 बजे किया जाये।

श्री सुरेश राजपूत मा० पार्षद ने कहा कि हमारे वार्ड नं० 13 में हैण्डपम्प खराब है मा० पार्षदों के पत्रों की समस्या का समाधान होना चाहिये। समस्या को रद्दी की टोकरी में न डाला जाये।

श्री लखन मा० पार्षद ने कहा कि खण्डेराव गेट बाहर लगे वाल्व के स्थान पर गड्ढा हो गया है वहाँ पर लीकेज है उसे ठीक कराया जाये।

श्री आर.आर.सिंह अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान झाँसी ने कहा कि जितना पानी आता है उसकी पूर्ति की जाती है।

श्री बालस्वरूप साहू मा० पार्षद ने कहा कि वार्ड नं० 53 में पानी की आपूर्ति का समय बदला जाये।

श्री राजबिहारी मा० पार्षद ने कहा कि झाँसी महानगर में कई सर्विस स्टेशन डायरेक्ट पाइपलाइन से चल रहे हैं इस समस्या को नोट किया जाये।

श्री संजीव पटैरिया मा० पार्षद ने कहा कि वार्ड नं० 34 में लगे हैण्डपम्प के हैंडिल खराब हो गये हैं।

श्रीमती सुशीला दुबे मा० पार्षद ने कहा कि वार्ड नं० 51 में पानी की आपूर्ति का समय फिक्स किया जाये।

श्रीमती वन्दना यादव मा० पार्षद ने कहा कि वार्ड नं० 06 में हैण्डपम्प खराब हैं उनकी मरम्मत करायी जाये।

मा० महापौर जी ने कहा कि सभी वार्डों के मा० पार्षदों की शिकायत है कि विभाग के कर्मचारी मरम्मत के नाम पर पाइप निकाल ले जाते हैं।

श्री आर.आर.सिंह अधिशासी अभियन्ता ने कहा कि विभाग में 05 या 06 टीमों गैंग के रूप में हैण्डपम्प की मरम्मत करने जाती हैं एक गैंग एक दिन में दो हैण्डपम्प ठीक करती है। विभाग द्वारा 10-12 हैण्डपम्प प्रतिदिन ठीक कराये जाते हैं।

श्री राजबिहारी मा० पार्षद ने कहा कि नगर निगम कार्यालय में जल निगम के एक कर्मचारी को समस्याओं के समाधान हेतु बैठाया जाये।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि आप लोगों की समस्यायें जायज हैं शासन स्तर पर जल संस्थान व जल निगम को नगर निगम में सम्मिलित करने की कार्यवाही चल रही है।

(Handwritten signature)
04-2-16

श्रीमती किरन राय बुकर

...

श्री अशोक पलया मा० पार्षद ने कहा कि थम्ब इम्प्रेशन मशीन में उपस्थिति के अनुसार कर्मचारियों के वेतन का भुगतान हो। नगर निगम द्वारा सीमा में बालिका इण्टर कॉलेज की स्थापना करायी जाये।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि बालिका इण्टर कॉलेज के लिए जगह चिन्हित कर ली गयी है।

श्रीमती नीता यादव मा० पार्षद ने कहा कि वार्ड नं० 52 में सड़क पर नाला बन रहा है वह संकरा हैं। तथा वार्ड में स्टेशन जाने वाले मार्ग पर डिवाइडर बनवाया जाये।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि नाले की चौड़ाई लगभग 37 फीट है इस सम्बन्ध मा० जिलाधिकारी महोदय से चर्चा करियेगा।

श्री रवि मौर्य मा० पार्षद ने कहा कि भगवन्तपुरा में जो नाला बन रहा है उसका कोई औचित्य नहीं है।

श्री पुष्पराज गौतम अतिक्रमण प्रभारी ने कहा कि अतिक्रमण हटाये जाने के लिए प्रतिमाह रोस्टर बनाया जाता है पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट मिलते नहीं है। अभी दो माह से चुनाव होने के कारण पुलिस बल उपलब्ध नहीं हो पाया था।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि पुलिस लाइन में आगामी तीन तारीख को बैठक है जिसमें आप सभी आमंत्रित है। इस सम्बन्ध में दस्ता गठित कर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल के सहयोग से अतिक्रमण हटाया जा सकता है। केवल नगर निगम के कर्मचारियों से अतिक्रमण हटाना सम्भव नहीं है। शिकायत प्राप्त होने पर अस्थाई अतिक्रमण तुरन्त हटाया जा रहा है।

श्री संजीव पटैरिया मा० पार्षद ने कहा कि जो पार्कों में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है उन्हें तत्काल हटाया जाये।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि रोस्टर बनाकर शीघ्र ही नेहरू मार्केट से अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू कर दिया जाये।

श्रीमती सीमा वर्मा ने कहा कि नगर निगम के पार्कों व अन्य स्थानों पर लगे सुरक्षा गार्डों के स्थान पर सरकारी गार्ड लगाये जायें।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि इस पर विचार किया जायेगा।
निर्णय :- प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हो सका।

प्रस्ताव संख्या 08 :- वार्ड नं० 04 भट्टागांव में एक सार्वजनिक पार्क बनवाने के प्रस्ताव पर विचार।

प्रस्ताव संख्या 09 :- वार्ड नं० 04 खिरकपट्टी में रेलवे लाइन से प्राथमिक विद्यालय, मान सिंह कुशवाहा से फूलसिंह यादव के मकान तक नाली एपैक्स बनवाये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

प्रस्ताव संख्या 10 :- वार्ड नं० 04 भट्टागांव में सार्वजनिक शौचालय तक पहुंचने के लिए सड़क बनवाये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

प्रस्ताव संख्या 11 :- वार्ड नं० 52 इलाईट से जीवनशाह तिराहे तक पुरुष/महिला सार्वजनिक मूत्रालय निर्माण के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय :- जांच उपरान्त ही प्रस्ताव सं० 08 से प्रस्ताव सं० 11 तक के निर्माण कार्य सर्वसम्मति से स्वीकृत किये जायेंगे।

प्रस्ताव संख्या 12 :- महानगर में आम नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से शौचालय निर्माण में नगर निगम द्वारा रु 2000/- का अनुदान दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

विचार विमर्श:- श्री सुरेश गोपी मा० पार्षद ने कहा कि झाँसी महानगर के ऐसे नागरिकों को जो शौचालय निर्माण करने में असमर्थ हैं को शासन द्वारा निर्धारित धनराशि रु 4000/- के अतिरिक्त नगर निगम द्वारा रु 2000/- का सहयोग दिया जाये।

Handwritten signature
04-2-16

श्रीमती फिरोज बानु

नगर आयुक्त जी ने कहा कि नगर निगम कम्बल बांटने पर पैसा खर्च नहीं करेगा अगर आप चाहते हैं तो संस्थाओं को आमंत्रित कर पार्श्वों व ठेकेदारों के सहयोग से कम्बल बांटे जायेंगे।

श्री आर.के.वर्मा मुख्य अभियन्ता ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री गोपी जी ने प्रस्तुत किया है असहायों को श्री सुरेश गोपी कम से कम 50 कम्बल बांटे।

निर्णय :- प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।

प्रस्ताव संख्या 16 :- वार्ड नं० 21 में राजीव नगर चौराहे पर एक हाईमास्क लाईट लगाये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

विचार विमर्श:- प्रभारी मार्ग प्रकाश ने बताया कि पूर्व में मा० कार्यकारिणी/सदन की बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव के क्रम में वार्डों में हाईमास्क लाईट लगायी गयीं हैं।

श्रीमती माहेलका मकरानी मा० पार्श्व वार्ड नं० 36 स्थित भैंरो खिड़की बिसाती कब्रिस्तान के पास एक हाईमास्क लाईट बिजली का पोल लगाने का आवदेन प्रस्तुत किया है।

श्रीमती अफरोज बेगम मा० पार्श्व वार्ड नं० 57 ने एक बिजली का पोल लगाने की मांग की है।

निर्णय :- सर्वसम्मति से अस्वीकृत।

प्रस्ताव संख्या 17 :- वार्ड नं० 48 प्रेमगंज में नवनिर्मित पार्क का नाम "कमाण्डेण्ट शहीद सिंहरण यादव" के नाम पर रखे जाने के प्रस्ताव पर विचार।

विचार विमर्श:- नगर आयुक्त जी ने कहा कि विवादित नाम न रखा जाये। पूर्व से प्रचलित चन्द्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाता था अतः उसे ही यथावत रखा जाये।

श्री कन्हैया कपूर मा० पार्श्व ने कहा कि सीपरी बाजार में पलाई ओवर का निर्माण कार्य चल रहा है जिससे वाहनों के आवागमन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है अतः वी.आई.पी. सर्किट हाउस मार्ग को बन्द न किया जाये। मार्ग बन्द होने से वाहनों को बी.के.डी. होकर आना-जाना पड़ता है। अतः गेट हमेशा खुला रखा जाये।

श्री अनिल कुमार मा० पार्श्व ने कहा कि वार्ड नं० 02 एवं 17 के बीच एक पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है। अतः वार्डों के परिसीमन का मानचित्र यथा स्थित रखा जाये।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि पूर्व में काटे गये ब्लकों के आधार पर प्रगणकों को जनगणना कार्य में लगाया गया था उनके पास नक्शा होता है।

श्री अनिल कुमार मा० पार्श्व ने कहा कि पूर्व में भी इसी स्थान तक परिसीमन रहा था। उन्होंने नगर स्वा० अधिकारी का ध्यान आकर्षित कराते हुये कहा कि सफाई कर्मचारी जिस वार्ड में दलेल लगती है ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठ कर जाते हैं। जिससे संक्रमण फैलने की आशंका रहती है।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि भविष्य में इस बात को ध्यान में रखा जाये। साफ ट्रैक्टर ट्रॉली पर सफाई कर्मचारी दलेल पर जायेंगे।

निर्णय :- कोई निर्णय नहीं हो सका।

प्रस्ताव संख्या 18 :- वार्ड नं० 13 गड़ियागांव (कौशलपुरी में) मेन रोड पर श्री धनीराम प्रधान के घर से ठाकुर बाबा के मन्दिर तक लगभग 300 मी० एवं श्री अतर सिंह अहिरवार के घर से श्री कमलेश अहिरवार के घर तक लगभग 300 मी० एपैक्स एवं नाली निर्माण तथा प्राचीन खाती बाबा स्थान के पास नाला एवं पुलिया निर्माण के प्रस्ताव पर विचार।

प्रस्ताव संख्या 19 :- वार्ड नं० 01 हंसारी ग्वालटोली में रमेश चौधरी से कुम्हारटोली तक एपैक्स एवं नाली निर्माण के प्रस्ताव पर विचार।

Berna
24-2-16

श्रीमती किरण राम कुमारे

निर्णय :- सर्वसम्मति से स्वीकृत ।

अन्य प्रस्ताव सं० 08:- झाँसी महानगर में खाद्य पदार्थ मुख्यतः दूध की जांच खोले जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

निर्णय :- सर्वसम्मति से स्वीकृत ।

अन्य प्रस्ताव सं० 09:- नगर निगम की नई इमारत में जल संस्थान व जिला पूर्ति कार्यालय खोले जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

निर्णय :- सर्वसम्मति से स्वीकृत ।

अन्य प्रस्ताव सं० 10:- परमानन्द चौराहे पर स्थित रिक्त तिकोनिया पार्क में महाराजा खेत सिंह की प्रतिमा लगाये जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

निर्णय :- सर्वसम्मति से स्वीकृत ।

अन्य प्रस्ताव सं० 11:- वार्ड नं० 52 सिविल लाईन स्थित प्रकाश होटल के पास तिकोनिया पार्क पर माँ कर्माबाई की मूर्ति लगाये जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

निर्णय :- सर्वसम्मति से स्वीकृत ।

अन्य प्रस्ताव सं० 12:- डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के यूजर चार्ज की वसूली को नगर निगम की डिमाण्ड में सम्मिलित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

निर्णय :- सर्वसम्मति से स्वीकृत ।

अन्य प्रस्ताव सं० 13:- छोटी फॉगिंग मशीन क्रय किये जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

विचार विमर्श:- श्री राजबिहारी राय मा० पार्षद ने नगर निगम की संकरी गलियों में फॉगिंग वाहन न पहुंच पाने के कारण छोटी फॉगिंग मशीन जो साइकिल पर रखकर ऐसे स्थानों पर फॉगिंग कर सके क्रय करने हेतु अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।

निर्णय :- सर्वसम्मति से स्वीकृत ।

अन्य प्रस्ताव सं० 14:- नगर निगम के गैरिज विभाग में लगे नियमित, संविदा एवं आउटसोर्सिंग पर रखे गये ड्राइवरों के ड्राइविंग लाइसेंस की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

विचार विमर्श:- श्री राजबिहारी राय मा० पार्षद ने नगर निगम के गैरिज विभाग में लगे नियमित, संविदा एवं आउटसोर्सिंग पर रखे गये ड्राइवरों के ड्राइविंग लाइसेंस की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव जो कि पूर्व की मीटिंग में सर्वसम्मति से स्वीकृत है प्रस्तुत किया है ।

निर्णय :- सर्वसम्मति से स्वीकृत ।

अन्य प्रस्ताव सं० 15:- झाँसी महानगर में लगी होर्डिंग्स एजेन्सी की जानकारी उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

विचार विमर्श:- श्री राजबिहारी राय मा० पार्षद ने नगर में लगी होर्डिंग्स एजेन्सियों के बारे में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उनकी वैधता तिथि व उन पर बकाया आदि की जानकारी की मांग की है उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में कई बार सदन में चर्चा होने के बाद भी कर विभाग द्वारा एजेन्सियों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है ।

निर्णय :- सर्वसम्मति से स्वीकृत ।

अन्य प्रस्ताव सं० 16:- वार्ड नं० 01 हंसारी शमशान घाट में शैड एवं बाउण्ड्रवॉल का निर्माण कार्य पुनरीक्षित आगणन धनांक रु 2402400.00/- के प्रस्ताव पर विचार ।

निर्णय :- सर्वसम्मति से स्वीकृत ।

Karma
04.2.16

श्रीमती किरण राय कुमसेलर

नगर निगम

झाँसी

अन्य प्रस्ताव सं0 30:- वार्ड नं0 26 में निम्नलिखित निर्माण कार्य स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

(अ):- पैरा मेडिकल की बाउण्ड्रीवॉल से शमशानघाट की ओर तक नाले का निर्माण।

(ब):- हाईवे रोड से पैरा मेडिकल की बाउण्ड्रीवॉल तक।

(स):- हाईवे रोड से आश्रम पद्धति राजकीय इण्टर कॉलेज तक डामर रोड का निर्माण कार्य।

(द):- सभी वार्डों में रिपेयरिंग का निर्माण कार्य रु 5.00 लाख का प्रस्ताव।

(य):- राकेश पेट्रोल पम्प से श्री इन्दल सिंह के मकान तक मुहल्ला सिमलिया में एपैक्स नाली निर्माण का कार्य।

अन्य प्रस्ताव सं0 31:- वार्ड नं0 57 में निम्न एपैक्स एवं निर्माण कार्य कराये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

(अ):- बेसिक प्राईमरी स्कूल से सत्तार बाबा की मीनार तक सी.सी.रोड उखाड़कर उस पर एपैक्स लगाना।

(ब):- खटीकयाने में सार्वजनिक शौचालय की मरम्मत एवं शीट एवं गेट लगाया जाना।

अन्य प्रस्ताव सं0 32:- लक्ष्मी गेट बाहर स्थित मूर्ति विसर्जन कुण्ड की सफाई एवं सीमेण्ट कंक्रीट द्वारा पक्का करना व सीढ़ियों पर चेकर्स राइल्स रेलिंग लगाये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय :- अन्य प्रस्ताव क्रमांक 17 से लगायत अन्य प्रस्ताव क्रमांक 32 तक जांच के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत।

अन्य प्रस्ताव सं0 33:- कानपुर बाईपास तिराहे पर नव निर्माणाधीन पार्क में महारानी लक्ष्मीबाई की भव्य प्रतिमा लगाये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय :- सर्वसम्मति से स्वीकृत अग्रिम कार्यवाही हेतु नगर आयुक्त/महापौर को अधिकृत किया जाता है।

अन्य प्रस्ताव सं0 34:- नगर निगम के जिन वार्डों में पाइप लाइन नहीं है उन वार्डों में विद्युत पोलों के स्थान पर पाइप लाइन बिछाये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

विचार विमर्श:- श्रीमती रेखा श्रीवास मा0 पार्षद ने नगर निगम के जिन वार्डों में पाइप लाइन नहीं है उन वार्डों में विद्युत पोलों के स्थान पर पाइप लाइन बिछाये जाने या फिर हैण्डपम्प की स्थापना किये जाने का आवेदन किया है।

श्री रोहन सिंह प्रभारी अपर नगर आयुक्त ने कहा कि मा0 पार्षद जी द्वारा सुझाया प्रस्ताव जनहित का है पाइप लाइन बिछाने व हैण्डपम्प की स्थापना जल संस्थान/जल निगम के द्वारा की जाती है। अतः इस सम्बन्ध में विभागों से पत्राचार किया जाना उचित होगा।

निर्णय :- प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हो सका।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि एजेण्डे में सम्मिलित सभी निर्माण कार्य तथा मा0 पार्षदों द्वारा निर्माण से सम्बन्धित सभी आवेदन पत्र जो अन्य प्रस्तावों में सर्वसम्मति से स्वीकृत किये गये हैं को जांच उपरान्त ही निविदा में सम्मिलित किये जायेंगे।

मा0 महापौर जी ने कहा कि झाँसी महानगर स्थित सभी वार्डों के समस्त निर्माण कार्यों की जांच कमेटी की संस्तुति पर ही निर्माण कार्य स्वीकृत किये जायेंगे।

अन्त में मा0 महापौर जी ने सभाकक्ष में उपस्थित सभी सभासदों, पत्रकार बन्धुओं, अधिकारियों को नव वर्ष की शुभकामनायें देते हुये बैठक समाप्त करने की घोषणा की।

(किरन शर्मा बुकसेलर)
श्रीमती महापौराजू बुकसेलर
नगर निगम, झाँसी।
झाँसी नगर निगम, झाँसी